

**:::आदेश:-**

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम
01	02	03	04
1	452	अंजली सिंह / गया राम	आगरा
2	719	मो० नसीमुद्दीन / नैमुद्दीन	झाँसी
3	1001	नीलोफर / सैदुफर	गोरखपुर
4	1272	सर्वेश कुमार यादव / रघुवीर सहाय यादव	कानपुर
5	1363	हृदय राम / राम टहल	अयोध्या
6	1380	पंकज कान्त मिश्रा / कृष्ण कान्त मिश्रा	इटावा
7	1440	उमेश कुमार / ईश्वर दास	मेरठ
8	1451	प्रमोद कुमार तिवारी / स्व० भगवती प्रसाद	लखनऊ
9	1695	सै० जीशान हैदर जाफरी / मुजाहिर हुसैन	बिजनौर
10	1750	सुनीता सिंह / डा० वी०पी०सिंह	लखनऊ
11	1752	राधे श्याम मौर्या / फूल चन्द मौर्या	आजमगढ़
12	1753	रमेश चन्द्र वर्मा / रमा शंकर वर्मा	आजमगढ़
13	1754	सुरेन्द्र कुमार वर्मा / राम प्रसाद वर्मा	अलीगढ़
14	1755	कुमकुम लता / श्याम लाल	बरेली

- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- उपरोक्त क्रमांक-02 (श्री नसीमुद्दीन, ज्येष्ठता क्रमांक-719) पर अंकित कर्मिक की पदोन्नति उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में लम्बित वाद में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन प्रदान की गयी है।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 27-06-2023 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच/ई०ओ०डब्ल्यू० जाँच चल रही हो तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

राज्य

20/6/23

19/06/23

965

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


  
(ओ०पी०वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 5- समस्त सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/संयुक्त आयुक्त (ए)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था०अराज०) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

  
(डी०के० वर्मा)

संयुक्त आयुक्त (स्था०अराज०) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।